



2026:AHC-:25707-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2189 / 2026

सना @ बागे जहाँ व एक अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुनील कुमार दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका, याचिकाकर्ताओं द्वारा थाना बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0026 / 2026, अंतर्गत धारा 308(5), 308(6), 351(3), 61(2), 127(2) बी.एन.एस. से उद्भूत आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.01.2026 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, विशिष्ट रूप से यह आरोप है कि प्रथम सूचनादाता को मृत्यु के भय में डालकर और उसे बलात्कार के अपराध में झूठा फंसाने की धमकी देकर, उससे 5,00,000/- रुपये की मांग की गई, अन्यथा उसे जान से मार दिया जाता, जिसके परिणामस्वरूप, प्रथम सूचनादाता ने अपने मित्रों के साथ मिलकर याचिकाकर्ता संख्या 1- सना के बैंक खाते में 60,000/- रुपये की राशि स्थानांतरित की और इसके अतिरिक्त, अपने मित्र के खाते से 'फोन पे' के माध्यम से 2,40,000/- रुपये की राशि स्थानांतरित की और इस प्रकार कुल 3,00,000/- रुपये की राशि याचिकाकर्ता संख्या 1- सना और अन्य अभियुक्तों के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई है।
6. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि उक्त आरोपों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



माननीय शीर्ष अदालत द्वारा तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एससीसी 779', 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाईन एससी 315 और माननीय शीर्ष अदालत के हालिया निर्णय 'क्रिमिनल अपील संख्या 843 / 2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी व अन्य' के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद और इस आरोप को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम सूचनादाता को मृत्यु के भय में डालकर और उसे बलात्कार के अपराध में झूठा फंसाने की धमकी देकर, उससे 5,00,000/- रुपये की मांग की गई, अन्यथा उसे जान से मार दिया जाता, जिसके परिणामस्वरूप, प्रथम सूचनादाता ने अपने मित्रों के साथ मिलकर याचिकाकर्ता संख्या 1- सना के बैंक खाते में 60,000/- रुपये की राशि स्थानांतरित की और इसके अतिरिक्त, अपने मित्रों के खाते से 'फोन पे' के माध्यम से 2,40,000/- रुपये की राशि स्थानांतरित की और इस प्रकार कुल 3,00,000/- रुपये की राशि याचिकाकर्ता संख्या 1- सना और अन्य अभियुक्तों के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई है, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।

8. इसके अतिरिक्त, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी यह राय है कि इस स्तर पर आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

9. प्रस्तुत रिट याचिका गुणहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

5 फरवरी, 2026

नादिम

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"